

कार्यालय पीईईओ/प्रधानाचार्य

क्रमांक:

दिनांक:

कार्यालय आदेश

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 बी एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 11.06.2014 एवं संशोधित परिपत्र दिनांक 07.08.2014 एवं 08.08.2019 के अनुसार स्थानीय पीईईओ कार्यालय के अधीनस्थ विद्यालय राउप्रावि बिचपुड़ी में कार्यरत अध्यापिका श्रीमती दीपाली परमार के असाधारण अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है।

क्र. स.	अवकाश की अवधि	कुल दिवस	वि-वि
1	दिनांक .. /.... /.... से .. /.... /.... तक		
2			
3			
4			

कुल दिवस =

राजस्थान सेवा नियम के अवकाश नियम 91(2ख) के अनुसार इन दिवस के असाधारण अवकाश की एवज में उपार्जित अवकाश (प्रति 10 असाधारण अवकाश की एवज में एक उपार्जित अवकाश) इनके अवकाश लेखे से कम किया जाना है।

क्रमांक:-

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. लेखा शाखा।
2. व्यक्तिगत पंजिका (संबंधित कार्मिक)।
3. रक्षित पत्रावली।

(Signature of DDO with seal)

दिनांक:-

(Signature of DDO with seal)